सं 1/11/2020-पीएंडपीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली

दिनांक 29 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनंतिम कुटुंब पेंशन के भुगतान के लिए नियम 80-क में छूट।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 1972 में नियम 80-क के अनुसरण में, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कुटुंब पेंशन के मामले को, प्रपत्र 18 और नियम 80 में संदर्भित अन्य दस्तावेजों सहित वेतन एवं लेखा कार्यालय में अग्रेषित करने के पश्चात, कार्यालयाध्यक्ष दावेदार या दावेदारों के पक्ष में अनंतिम कुटुंब पेंशन तथा मृत्यु उपदान को संस्वीकृत करेगा तथा आहरण करेगा। इस विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि कुटुंब पेंशन के मामले को अपेक्षित दस्तावेजों सहित वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित करने की प्रक्रिया में ही काफी समय लग जाता है। यह भी समझा जाता है कि, अधिकतर मामलों में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनंतिम कुटुंब पेंशन तथा उपदान को मंजूरी प्रदान नहीं की जा रही है। कुटुंब पेंशन तथा उपदान को अंतिम रूप देने में विलंब होने के परिणामस्वरूप दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2. इस विभाग में मामले की जांच की गयी है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली में नियम 54(2)(ii) के अनुसरण में, सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, दिवंगत सरकारी कर्मचारी का परिवार उन मामलों में भी कुटुंब पेंशन का हकदार बन जाता है, जहां किसी सरकारी कर्मचारी का निधन एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण होने से पहले ही हो जाता है, बशर्ते संबंधित दिवंगत सरकारी कर्मचारी की, सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति से तुरंत पहले, उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकरी द्वारा स्वस्थ घोषित किया गया हो। इस प्रकार कुटुंब पेंशन सरकारी कर्मचारी के निधन से पहले की सेवा अवधि पर विचार किए बिना, दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए देय है। इसलिए, कुटुंब पेंशन की राशि का निर्धारण करने के लिए सम्पूर्ण सेवा का सत्यापन प्रासंगिक नहीं है। तथापि, मृत्यु उपदान की राशि दिवंगत सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा की अवधि पर निर्भर करती है। दिवंगत सरकारी कर्मचारी से संबंधित कोई भी सरकारी बकाया राशि भी मृत्यु उपदान की राशि से वसूल की जानी अपेक्षित है।

3. उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए और दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को किसी भी कठिनाई से बचाने के उद्देश्य से, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 1972 में नियम 80-क के प्रावधानों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है कि यदि कुटुंब पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र और दावेदार के बैंक खाते के ब्योरे सहित प्रपत्र 14 में दावा प्राप्त होता है और कार्यालयाध्यक्ष उस दावे की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो वह अनंतिम कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति तत्काल प्रदान करेगा। कार्यालयाध्यक्ष अनंतिम कुटुंब पेंशन को संस्वीकृत करने से पहले कुटुंब पेंशन के मामले (प्रपत्र-14, प्रपत्र-18 और नियम 80 में उल्लिखित अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित) को वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करेगा।

4. अनंतिम कुटुंब पेंशन की राशि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में नियम 54 के तहत यथास्वीकार्य अधिकतम कुटुंब पेंशन से अधिक नहीं होगी।

5. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित मामलों में, जहां किसी कर्मचारी की मृत्यु कार्य निर्वहन करने के दौरान होती है, प्रारम्भ में अंतिम ऑपरेशन हताहत रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही अनंतिम कुटुंब पेंशन को संस्वीकृति दी जा सकती है।

6. वेतन और लेखा कार्यालय सेवा पुस्तिका सहित किसी भी अन्य दस्तावेजों के लिए आग्रह किए बिना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेश के आधार पर अनंतिम कुटुंब पेंशन जारी करेगा। अनंतिम कुटुंब पेंशन का भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे स्थापना के वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है।

7. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति हेतु एक प्रारूप संलग्न है ।

8. नियम 80-क के तहत अनंतिम उपदान की संस्वीकृति के प्रावधानों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फार्म -18 और अन्य सुसंगत दस्तावेजों को वेतन और लेखा कार्यालय को अग्रेषित करने के बाद, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियम 80-क के तहत, मृत्यु उपदान की संस्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा सकती है। यदि अनंतिम कुटुंब पेंशन की राशि बाद में अंतिम कुटुंब पेंशन से अधिक पाई जाती है, तो उसे मृत्यु उपदान की राशि से समायोजित किया जा सकता है, ऐसा न करने पर, इसे भविष्य में देय कुटुंब पेंशन से किश्तों में वसूल किया जा सकता है।

9. उपरोक्त पैरा 3 के अनुसार संस्वीकृत अनंतिम कुटुंब पेंशन का भुगतान प्रारम्भ में, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद से छह महीने की अवधि के लिए जारी रहेगा। ऐसे संस्वीकृत अनंतिम कुटुंब पेंशन की अवधि को वेतन और लेखा कार्यालय के परामर्श से और विभागाध्यक्ष(एचओडी) के अनुमोदन द्वारा, छह माह से अनधिक अवधि के लिए, और आगे बढ़ाया जा सकता है।

10. मामले के प्रसंस्करण के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ) और केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र(सीपीपीसी) द्वारा लिए जाने वाले समय की संभावना को ध्यान में रखते हुए, अनंतिम कुटुंब पेंशन का भुगतान उस महीने के बाद के दो महीने तक जारी रखा जा सकता है, जिस महीने में वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा अंतिम कुटुंब पेंशन के लिए पेंशन अदायगी आदेश जारी किया जाता है। संपूर्ण कुटुंब पेंशन मामले की प्राप्ति के बाद अंतिम कुटुंब पेंशन को अधिकृत करते समय, वेतन और लेखा कार्यालय उस तारीख को इंगित करेगा, जब से पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन अदायगी आदेश में अधिकृत कुटुंब पेंशन का भुगतान किया जाना है। तदनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय अंतिम कुटुंब पेंशन को अधिकृत करते समय, पेंशन अदायगी आदेश में एक नोट रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि नीचे दिया गया है :

"अनंतिम कुटुंब पेंशन का भुगतान महंगाई राहत सहित ---------- रुपये की दर से दिनांक ---------- से ---------- तक की अवधि के लिए किया गया है/किया जाएगा। बैंक द्वारा अंतिम कुटुंब पेंशन का भुगतान दिनांक ---------- से शुरू हो सकता है ।"

11. सभी मंत्रालयों/विभागों और संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(संजय शंकर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
3. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
4. विभाग में उपलब्ध सूची के अनुसार पेंशनभोगी संघ
5. सभी अधिकारी/डेस्क
6. एनआईसी को कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

सं. .....

भारत सरकार

..... मंत्रालय

.....विभाग/कार्यालय

दिनांक .....

सेवा में

श्री/श्रीमती/कुमारी .....(दावेदार का नाम और पता)

विषय:- अनंतिम कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति।

महोदय/महोदया

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....(नाम और पदनाम) का दिनांक ..... को देहांत हो गया। सेवा अभिलेख के अनुसार आप कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में नियम 80-क के साथ पठित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 29 जुलाई, 2020 के का.ज्ञा.सं. 1/11/2020-पीएंडपीडबल्यू(ई) के अनुसरण में, अनंतिम कुटुंब पेंशन के रूप में दिनांक.....(सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद का दिन) से ...../- रूपये प्रति माह की धनराशि के भुगतान हेतु एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्रदान की जाती है।

* अनंतिम कुटुंब पेंशन की धनराशि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के वेतन के आधार पर यथानिर्धारित कुटुंब पेंशन का 100% होगी।

3. दिनांक 29 जुलाई, 2020 के का.ज्ञा.सं. 1/11/2020-पीएंडपीडबल्यू(ई) के पैरा 3 के अनुसार संस्वीकृत अनंतिम कुटुंब पेंशन का भुगतान प्रारंभ में, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से छह महीने तक की अवधि के लिए जारी रहेगा। ऐसे संस्वीकृत अनंतिम कुटुंब पेंशन की अवधि को वेतन और लेखा कार्यालय के परामर्श से और विभागाध्यक्ष(एचओडी) के अनुमोदन द्वारा, छह माह से अनधिक अवधि के लिए, और आगे बढ़ाया जा सकता है।

4. यदि अनंतिम कुटुंब पेंशन की राशि अंतिम कुटुंब पेंशन से अधिक पाई जाती है, तो इसे भविष्य में देय कुटुंब पेंशन में से उपदान किश्तों से वसूल किया जाएगा।

भवदीय,

विभागाध्यक्ष

वेतन और लेखा अधिकारी को सूचनार्थ प्रतिलिपि